<table>
<tr>
<th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
विक्रम बनाम सरकार
धारा 136
प्रकरण सख्या 22/2014</th>
<th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th>
</tr>
<tr>
<td>राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 22/2014 विक्रम बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम बुझावड तहसील लुणी के खसरा नम्बर 435/38 राजस्व नक्शे मे तरमीम शुद्व किया जाने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई

तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भूअ/2022/100 दिनाक 13.06.2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी ग्राम बुझावड के खसरा नम्बर 435/38 रकबा 0.5261 हैक्टर खातेदार विक्रम निम्बावत पुत्र अन्नतराम जाति साद के नाम दर्ज है उक्त खसरे मे से जरिये बैचान से अलग दर्ज होकर खसरा नम्बर 38/3 रकबा 0.2428 हैक्टर खातेदार समीर चौहान पुत्र सलीम चौहान जाति मुसलमान के नाम है। ग्राम बुझावड के लठठा नक्शा व ऑनलाइन नक्शे मे खसरा नम्बर 435/38 व 38/3 (जो वक्ता दावा 435/38 का भाग था) की तरमीम मौका अनुसार नही है। उक्त खसर नम्बर 435/38 व 38/3 का मौका मूल दावे के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट दिनाक 13.01.2014 अनुसार है तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनाक 13.01.2014 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना की अनुशंषा की गई। लेकिन दिनाक 13.01.2014 मे खसरा नम्बर 435/38 व 38/3 का स्पष्ट विवरण नही होने व पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

अत– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी</td>
<td></td>
</tr>
</table>